

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :- 244/2022 ज० प०

1. रेखा 50 नव्वा गुर्जर नि० जेवासा - 500 नो -

प्रार्थी.....

बनाम

1. जैराम 50 टंजी गुर्जर नि० जेवासा - 500 नो - का

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक

28/11/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जेवासा पटवार हल्का जेवासा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 61 आराजी नम्बर.....

38 8628/102 9140/105  
1.1255 0.2523 0.4300

..... कुलकिता 3 रकबा 80.84 हेक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20/11/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कखुने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अर्देशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम जेवासा पटवार हल्का जेवासा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 61 आराजी नम्बर.....

38 8628/102 9140/105  
1.1255 0.2523 0.4300

..... कुलकिता 3 रकबा 80.84 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक जेवासा को 750/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्काकारान की मीजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

संलग्न- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा